प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 8967-2 दिनांकः 27-01-202

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 15.01.2020 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 15 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / दिनांकः 27-01-2020

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 15.01.2020 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 15 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

/

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 8967-2 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरुष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 15 जनवरी 2020 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 15 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सांची, अपर मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद स्तरीय अन्य अधिकारियों एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान मण्डलवार समस्त 75 जनपदों से मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला एवं गंगा यात्रा से सम्बन्धित तैयारियों पर चर्चा की गयी तथा निम्न निर्देश दिये गये–

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला–

1. समीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि कतिपय जनपदों के द्वारा आरोग्य मेले की कार्ययोजना राज्य स्तर पर प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार 31 मार्च 2020 तक की कार्ययोजना जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमोदित कराते हुये दिनांक 16 जनवरी 2020 तक राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. निर्देशित किया गया कि 02 फरवरी 2020 से प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से 02 बजे तक प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन शासनादेश के अनुसार करें तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अर्न्तविभागीय समन्वय बैठक करवाना भी सुनिश्चित करें।
3. प्रत्येक मेले में कम से कम एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, आयुष विभाग के चिकित्सकों, आर0बी0एस0के0 टीम में कार्यरत आयुष चिकित्सकों एवं प्रशासनिक कार्य में कार्यरत चिकित्सकों के माध्यम से 3 से 4 चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
4. जनपद में स्थित सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज के रेजीडेण्ट एवं पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट के प्रशिक्षुओं का प्रयोग भी मेले में करें, साथ ही साथ आई0एम0ए0 के साथ समन्वय स्थापित करते हुये निजी चिकित्सकों की मेले में सहभागिता सुनिश्चित करें।
5. निर्देशित किया गया कि मेले में कार्य करने वाले चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मियों को योजना बनाकर एक दिन का प्रतिपूर्ति अवकाश दिया जा सकता है, किन्तु यह घ्यान रखा जाये कि इससें स्वास्थ्य सेवायें बाधित न हों। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मियों को रोटेशन व्यवस्था के अर्न्तगत मेले में कार्य कराया जाये।
6. निर्देशित किया गया कि आरोग्य मेले के लिये औषधियों का इन्डेन्ट तत्काल भेज दें जिससे ससमय औषधियों की उपलब्धता की जा सके। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मेले में सामान्य औषधियों की उपलब्धता अवश्य हो तथा विभिन्न विधाओं की औषधियां भी जनमानस हेतु उपलब्ध हों।
7. निर्देशित किया गया कि योजनाओं के प्रचार–प्रसार में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को प्रयुक्त करें, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित करें जिससे व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा सके।

गंगा यात्रा–

8. प्रदेश में दिनांक 27 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक प्रस्तावित गंगा यात्रा की तैयारियों के क्रम में निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार सम्बन्धित जनपदों में यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले गांवों में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

9. स्वास्थ्य कैम्प में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आवश्यक औषधियों एवं जांचों की उपलब्धता, सन्दर्भन तथा उपचार की सुविधा भी सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम एवं सभा वाले स्थानों पर वृहद् स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन करें।
10. यात्रा के दौरान आयोजित किये जाने वाले कैम्पों में आयुष्मान भारत–जन आरोग्य योजना एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान के स्टॉल भी लगाये जायें, जिससे आम जनमानस में जागरूकता का संचार किया जा सके तथा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।
11. यात्रा के दौरान यात्रा के साथ चलने वाली संदेश वाहिनी वैन के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी प्रचार–प्रसार (ऑडियो विजुअल इत्यादि) करवाना सुनिश्चित करें। नुक्कड़ नाटक की टीमों का भी समुचित प्रयोग सुनिश्चित करें।
12. गंगा यात्रा से सम्बन्धित ग्रामों में प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर एवं होर्डिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित जन सभायें आयोजित करायें।
13. यात्रा के दौरान 108 एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस की नियमित तैनाती करायी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एम्बुलेंस में पर्याप्त औषधि एवं ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था हो। साथ ही साथ गंगा यात्रा के रास्तों के जिला चिकित्सालयों में सेफ हाउस को विकसित एवं सुसज्जित करना सुनिश्चित करें।

आयुष्मान भारत– जन आरोग्य योजना–

14. शासनादेश के अनुसार योजना के अर्न्तगतएस0ई0सी0सी0–2011 में चिन्हित ऐसे 37 लाख परिवार जिनका सत्यापन ए0डी0सी0डी0 में नही हो सका था, उनके पुनः सत्यापन की प्रक्रिया 31 जनवरी, 2020 तक पूर्ण करें तथा सर्वेक्षित डाटा वेबसाइट पर 15 फरवरी, 2020 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. शासनादेश के अनुसार चिकित्सालय में आयुष्मान लाभार्थियों हेतु पृथक काउन्टर स्थापित किया जाना, आयुष्मान लाभार्थियों की स्क्रीनिंग तथा पृथक आयुष्मान वार्ड बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ समस्त लाभार्थियों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
16. अवगत कराया गया कि समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध कर लिया गया है, निर्देशित किया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजना के अर्न्तगत क्रियाशील करना भी सुनिश्चत करें।
17. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत समस्त चिन्हित लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाना एवं उनका वितरण सुनिश्चित करें। 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु विशेष कैम्प का आयोजन भी करवाना सुनिश्चित करें।
18. साथ ही साथ "Add Member option" का प्रयोग करके गलत तरीके से बनाये गये गोल्डेन कार्ड की जांच करके शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान

19. अवगत कराया गया कि मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान के द्वितीय चरण के अर्न्तगत जनपद–आगरा, अमरोहा, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, झांसी, हापुड़, सम्भल, बलिया एवं मुरादाबाद में मानिटरिंग डेटा के अनुसार ड्यू वैक्सीन के सापेक्ष कोई भी वैक्सीन ना प्राप्त होने वाले बच्चों का प्रतिशत अधिक रहा है। साथ ही अधुनान्त ड्यू लिस्ट की उपलब्धता एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किये जाने वाले भ्रमण का प्रतिशत भी कम रहा है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि अभियान की गहन समीक्षा करते हुये दोषी कर्मियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। साथ ही अभियान के आगामी दो चरणों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

पोलियो एन0आई0डी0 अभियान

20. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा सभी जनपदों से अपेक्षा की गयी कि वह दिनांक 19 जनवरी, 2020 से प्रस्तावित पल्स पोलियो एन0आई0डी0 अभियान की सभी तैयारियां समयान्तर्गत पूर्ण करायें एवं अभियान को सफल बनाने हेतु प्रत्येक स्तर पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

जे0ई0 विशेष टीकारण अभियान

21. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17 फरवरी, 2020 से प्रदेश के 38 जनपदों के नान आई0एम0आई0 ब्लाकों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत जे0ई0 टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों हेतु जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। उक्त अभियान 07 दिवसों (बुधवार, शनिवार एवं अवकाशों को छोड़कर) हेतु चलाया जायेगा। संबंधित जनपदों से अपेक्षा की जाती है कि जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान की समय–सारणी के अनुसार समस्त गतिविधियां समयान्तर्गत पूर्ण करायें।

अन्य बिन्दु–

22. मानव सम्पदा पोर्टल पर समस्त संविदा कर्मियों का डाटा फीड करवाना सुनिश्चित करें तथा पोर्टल के माध्यम से ही कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें।
23. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को लक्ष्य के अनुसार ससमय क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 16 जनवरी से 15 फरवरी 2020 तक आयोजित किये जाने वाले एन0सी0डी0 कैम्पेन का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करें।
24. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्तमान में चिन्हित जन्मजात दोषों का प्रतिशत अपेक्षित 6–7 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 0.15 है। निर्देशित किया गया कि समस्त प्रसव केन्द्रों पर नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों का चिन्हीकरण, प्रसव पंजिका में अंकन एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करें।
25. निर्देशित किया गया कि समस्त जनपदों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूचना 17 जनवरी 2020 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर किसी चिकित्सक का स्थानान्तरण/समायोजन न करने हेतु निर्देशित किया गया।
26. मुख्य चिकित्साधिकारी–लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में आयोजित होने वाले डिफेन्स एक्स–पो में विभिन्न जनपदों से चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती की गयी है, इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायी जानी है। निर्देशित किया गया कि दो दिन के अन्दर सम्बन्धित सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी–लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।